तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/X/24.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थी प्रभूलाल द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 CR Act 1956 इस बाबत प्रस्तुत किया कि ग्राम भीमपुरा में प्रार्थी के खाते ख.नं. 932, रकबा 0.36 हैक्ट. व खसरा नं. 934 रकबा 0.47 हैक्ट. आराजी कुल किता 2 रकबा 0.83 हैक्ट. दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ~~के~~ चौक पर ख.नं. 933 रकबा 0.11 हैक्ट. शमशान की भूमि पर काबिल काश्त है तथा शमशान के रूप में ख.नं. 933 के नीचे ख.नं. 932 की भूमि काम में आ रही है। प्रार्थी के अनुरोध अनुसार वर्तमान में किसी प्रकार का विवाद नहीं है लेकिन भविष्य में विवाद की संभावना को रोकने हेतु जहाँ मुर्दों को दफनाया जा रहा है उसे ख.नं. 933 दर्ज करते हुए नक्शे में शुद्धि कर दी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार लाडपुरा से जवाब प्राप्त किया गया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जमाबन्दी की प्रविष्टियों को स्वीकार करते हुए अंकित किया गया है कि मुताबिक	

उपखण्ड अधिकारी कोटा (मोहर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	सेटलमेन्ट नक्शा ट्रेस सन् 1977-78 ख.नं. 133 की 0.11 Hect में गैर मु. रास्ता भूमि प्रार्थी की खसरा 134 व 132 की 0.36 Hect के मध्य में आती है. वर्तमान नक्शा ट्रेस में मुताबिक नामान्तरकरण व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तरमीम सही है, वादी मौका अनुसार तरमीम में शुद्धि करवाना चाहता है. हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, वादी के वाद पत्र तथा प्रतिवादी तहसीलदार लाडपुरा के प्रतिउत्तर का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। वादी की प्रार्थना वर्तमान कब्जे के आधार पर तरमीम की है. जिस बाबत वादी द्वारा धारा 136 LR Act 1956 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है. इसमें धारा 136 LR Act से सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। धारा 136 LR Act के तहत भू. प्रबन्ध के समय कारित की गई, लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरुस्त किया जा सकता है. वादी द्वारा भू. प्रबन्ध द्वारा कारित त्रुटि को दुरुस्त करने का आवेदन नहीं है, वरन मौके अनुसार तरमीम शुद्धि का आवेदन है.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी को

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमारे विनम्र मत में प्रार्थी की प्रश्नगत ~~प्रार्थी~~ प्रार्थना धारा 136 LRAct की परिधि में नहीं आती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- 21/x/21 उपखण्ड अधिकारी कोटा (मुहर: उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★)	